

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 38/2011	विक्रम संवत् 2068	8(कू0) मार्गशीर्ष 1933 (शा0) जमशेदपुर, शुक्रवार, 18/11/11
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।		
विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिघोषणा।		पृष्ठ संख्या 01-11

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -736

/

दिनांक -12.09.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**मेटयावान्दी**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **208**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 **47 मुड़ाकाटी वितरणी** निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **मेटयावान्दी**, थाना नं0-**208** के भीतर भूमि का **72** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **11.50** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 332, 336, 997, 1024, 1023, 1013, 1147 तथा अंश खेसरा संख्या-336, 335, 334, 329, 328, 331, 1011, 1048, 1047, 1046, 1041, 1040, 996, 998, 1035, 1034, 1033, 1025, 1002, 1022, 1016, 1017, 1012, 1015, 1014, 1006, 966, 965, 963, 962, 961, 964, 952, 960, 954, 955, 956, 953, 951, 1154, 1153, 1150, 1161, 1162, 1149, 1148, 1146, 1168, 1163, 1169, 1171, 1179, 1280, 1275, 1286, 1287, 2152, 1268, 1288, 1267, 1266, 1265, 1260, 1261 एवं 1281

चौहदी

उत्तर :- पूर्व अर्जित मुख्य नहर का खेसरा संख्या-336

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -नागड़ीनाला थाना नं0- 217

लगातार-2

(2)

पूरब :- :- अंश खेसरा संख्या—336, 329, 328, 1011, 1048, 1046, 1041, 1040, 1035, 1034, 1033, 1023, 1022, 1016, 1017, 1012, 1006, 963, 961, 962, 964, 960, 954, 955, 956, 1153, 1150, 1149, 1146, 1168, 1169, 1167, 1171, 1280, 1281, 1282, 1286, 1287, 2152, 1288, 1268, 1267, 1266, 1265, 1261 एवं 1262

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—1262, 1260, 1265, 1266, 1267, 1268, 1287, 1268, 1282, 1281, 1272, 1279, 1171, 1167, 1148, 1162, 1161, 1153, 1154, 1153, 1151, 952, 964, 965, 966, 1006, 1014, 1015, 1024, 1002, 998, 996, 1046, 1057, 330, 332, 334, 335 एवं 336

अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—1282, 1262 का रकबा—0.67 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त किया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 736 / जमशेदपुर, दिनांक 20.10.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-3

(3)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -737 /

दिनांक -20.10.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**राजाबेड़ा**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **190**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **राजाबेड़ा**, थाना नं०-**190** के भीतर भूमि का **2** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **0.98** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-461 एवं 456

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -देवशोल, थाना नं०- 191

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -सराबिला, थाना नं०- 189

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-456 एवं 461

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-461 एवं 456

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-4

(4)

ज्ञापांक 737

/

जमशेदपुर,

दिनांक 20.10.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी / हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -738

/

दिनांक -20.10.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**चोईरा -I**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **420**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 47 वितरणी हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **चोईरा -I**, थाना नं0-**420** के भीतर भूमि का **53** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **8.76** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या-413, 411 तथा अंश खेसरा संख्या-151, 160, 159, 158, 163, 164, 165, 202, 203, 208, 201, 200, 199, 198, 178, 189, 196, 195, 194, 193, 192, 353, 351, 354, 347, 344, 346, 345, 342, 373, 374, 376, 377, 429, 428, 427, 425, 426, 410, 412, 414, 415, 428, 403, 404, 405, 390, 400, 401 एवं 399

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -मानिकाबेड़ा, थाना नं0- 421

दक्षिण :- मिलान चादर नं0-2 तथा अंश खेसरा संख्या - 401, 390^८ 400 एवं 399

लगातार-5

(5)

पूरब :- अंश खेसरा संख्या- 191, 160, 159, 158, 165, 202, 201, 178, 198, 196, 194, 192, 353, 354, 347, 344, 342, 373, 374, 376, 377, 429, 428, 427, 425, 412, 423, 424, 403, 401, 400 एवं 399

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-160, 163, 164, 203, 208, 200, 199, 198, 189, 196, 195, 194, 193, 152, 352, 351, 354, 347, 346, 345, 344, 342, 376, 377, 428, 427, 425, 426, 410, 411, 414, 415, 403, 405, 380, 400 एवं 399

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या- 149 का रकबा 1.81 एकड़ अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या -145, 150 का रकबा 0.23 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 738

/

जमशेदपुर,

दिनांक 20.10.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-6

(6)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -739

/

दिनांक -20.10.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**चौईरा- II**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **420**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **चौईरा- II**, थाना नं०-**420** के भीतर भूमि का **11** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.13** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-1195, 1200, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210 एवं 1209

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-1195, 1200, 1199, 1202, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210 एवं 1209

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-1210, 1208, 1206, 1204, 1202, 1201 एवं 1200

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -एकघरिया, थाना नं०- 418

पश्चिम :- मिलान चादर नं०-1

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

लगातार-7

(7)

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक 739

/

जमशेदपुर,

दिनांक 20.10.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -740

/

दिनांक -20.10.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**कोपपाड़ा- I**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **461**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **कोपपाड़ा- I**, थाना नं०-**461** के भीतर भूमि का **41** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **3.80** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 765 तथा अंश खेसरा संख्या-1564, 1575, 1565, 1563, 1566, 1567, 1534, 1533, 1532, 1509, 1535, 1536, 1508, 1507, 1506, 1501, 1505, 1503, 1502, 1493, 1494, 770, 778, 773, 772, 771, 763, 766, 764, 754, 727, 728, 729, 721, 706, 723, 705, 722, 1539, एवं 724

लगातार-8

(8)

चौहदी खण्ड – “क”

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम –दुलियापाड़ा, थाना नं0-417

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-1534 एवं 1567

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-1468, 1467, 1563, 1566

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-1566, 1565, 1575 एवं 1568

चौहदी खण्ड – “ख”

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-1534 एवं 1567

दक्षिण :- मिलान चादर नं0-2

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-1534, 1533, 1535, 1536, 1539, 1507, 1506, 1505, 1503,
1493, 778, 773, 772, 763, 764, 754, 727, 728, 729, 721, 706, 705,

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या- 722, 723, 721, 729, 728, 727, 766, 765, 771, 770,
1494, 1502, 1501, 1507, 1508, 1509, 1532, 1533, 1534 एवं 1567

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा – 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा –3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0 / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0 / -

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 740

/

जमशेदपुर,

दिनांक 20.10.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-9

(9)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -741

/

दिनांक -20.10.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**राउतारा-**। परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- **132**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 43 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **राउतारा-**।, थाना नं०-**132** के भीतर भूमि का **16** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **3.41** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 814 एवं अंश खेसरा संख्या-777, 780, 781, 790, 791, 789, 813, 811, 815, 818, 766, 762, 2038, 743 एवं 761

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-777, 780, 781, 790, 791, 813, 811, 815, 818, 766, 764, 461, 743, 741, 739 एवं 740

दक्षिण :- मिलान चादर नं०-2

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-741, 740, 739, 743, 2038, 762, 766, 789, 790, 781, 780 एवं 777

पश्चिम :- संयुक्त सिमारेखा ग्राम -काड़आकाटा, थाना नं.-131

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार का खेसरा संख्या-764 का रकबा 0.13 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या - 741, 739, 740 का रकबा 1.27 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

लगातार-10

(10)

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 741 / जमशेदपुर, दिनांक 20.10.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -742 / दिनांक -20.10.2011
चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-राउतारा- II, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 132, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 47 लघु नहर निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- राउतारा- II, थाना नं०-132 के भीतर भूमि का 8 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 8.56 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-
अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या - 891 एवं अंश खेसरा संख्या-997, 996, 971, 913, 887, 890 एवं 892

लगातार-11

(11)

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-997, 996, 971, 913, 887, 913 एवं 890

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-993

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-892, 913, 915, 917, 972, 973 एवं 975

पश्चिम :- मिलान चादर नं0-2

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 742

/

जमशेदपुर,

दिनांक 20.10.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।